अनुसूची 14 – फारम सं0 563

ादेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

-: 1 :-

न्यायालय उपायुक्त, रॉची

विविध वाद सं० 07 / 2022–23

30
22.07.23

दसवा कच्छप पिता स्व० मादी कच्छप निवासी तेतरी, पोस्ट नामकुम, थाना नामकुम, जिला रॉची ......
आवेदक

बनाम

ANANTSNEH WAREHOUSING PVT.LTD. is incorporated under the company act, 2013, at its registered office at 207/A Pinnacle Prahaladnagar Area. opposite Royal Archade, Auda Garden, Ahemdabad, Gujarat, India, 380015, PAN-AASCA1602K and its CIN No- U45201GJ2019PTC107530 represented through its Authorized Signatory Mr. Rajiv Ranjan, aged about 42 years, son of Sri Ram Prasad, R/o Road No. 15g, Rajiv Nagar, Near Shiv Mandir, Phulwari, Keshari Nagar, Patna, Bihar, 800024, at present residing at Village - Pundag, P.S. Jagarnathpur, District Ranchi ...... विपक्षी

आदेश

प्रस्तुत वाद की कार्यवाही उपरोक्त आवेदको द्वारा छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा 49 के अन्तर्गत दायर आवेदन के आधार पर आरम्भ किय गया है। आवेदको ने मौजा मलती, थाना सं०–332 थाना–नामकुम जिला–राँची, स्थित खाता सं०–14, प्लॉट सं०– 259, रकबा 93 डिसमिल मद्ये 82 डिसमिल भूमि को विपक्षीगण ANANTSNEH WAREHOUSING PVT.LTD. is incorporated under the company act, 2013, at its registered office at 207/A Pinnacle Prahaladnagar Area. opposite Royal Archade, Auda Garden, Ahemdabad, Gujarat, India, 380015, PAN-AASCA1602K and its CIN No- U45201GJ2019PTC107530 represented through its Authorized Signatory Mr. Rajiv Ranjan, aged about 42 years, son of Sri Ram Prasad, R/o Road No. 15g, Rajiv Nagar, Near Shiv Mandir, Phulwari, Keshari Nagar, Patna, Bihar, 800024, at present residing at Village - Pundag, P.S. Jagarnathpur, District Ranchi के पक्ष मे वेयर हाउस एवं उदयान उद्योग के स्थापना के निमित हस्तांतरित करने की अनुमति के लिए याचना की है।

अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की ग. कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

आवेदक की ओर से प्रतिनिधित्व कर रहे विद्वान अधिवक्ता के अनुसारः–

मौजा मलती, थाना सं०–332 थाना– नामकुम जिला–राँची, स्थित खाता सं०–14, प्लॉट सं०– 259, रकबा 93 डिसमिल मधे 82 डिसमिल भूमि की खतियानी भूमि है जो आर०एस० खतियान में झीरगा उरॉव एवं मादी उरॉव के नाम से कायमी दर्ज है। उपरोक्त मादी उरॉव अपने पीछे एकमात्र पुत्र चुमना कच्छप उरॉव को छोड़ गये, जो अपने पीछे दो पुत्र खाया उरॉव उवं मादी उरॉव को छोड़ स्वर्गवास हो गये। उक्त मादी कच्छप अपने पीछे दो पुत्र दसवा कच्छप (आवेदक) एवं विनोद कच्छप छोड़ स्वर्गवास हो गये।

आवेदक अपने हक एवं हिस्से की भूमि विपक्षी के साथ बिक्री करना चाहते है।

प्रस्तुत वाद मे उपरोक्त आवेदक ने शपथ पत्र के माध्यम से अपना ब्यान दाखिल किया है, जिसमे उन्होने यह घोषणा किया है कि खतियानी रैयत के बीच मौखिक बंटवारा मे आवेदित भूमि उनके पिता को हिस्से मे प्राप्त हुआ है तथा उनके स्वर्गवास होने के उपरान्त उक्त भूमि पर वे शान्तिपूर्वक जोत–कोड़ करते चले आ रहे है। आवेदित भूमि का लगान उनके दादा चुमना उरॉव वैगरह के नाम से निर्गत होता है तथा ॲचल कार्यालय के भाग सं० 1 पृष्ठ सं० 14 मे जमाबंदी कायम है। वर्त्तमान मे उन्हे पैसे की सख्त आवश्यकता है, उन्होने अपने उपरोक्त भूमि को अनन्त स्नेह वेयर हाउस प्रा० लि० कम्पनी को हस्तांतरित करने हेतु एकरारनामा किया है। उपरोक्त भूमि के विक्रय के पश्चात् उनके हिस्से मे लगभग 2 एकड़ भूमि जीवनयापन हेतु बचता है।

उभय पक्ष की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता का सुना। ॲचलाधिकारी नामकुम द्वारा पत्रांक 1136 दिनांक 19.05.2022 द्वारा अग्रसारित प्रतिवेदन का अवलोकन किया। प्राप्त जॉच प्रतिवेदनानुसार उद्योग विभाग, झारखण्ड सरकार के संकल्प सं० 374 दिनांक 07.12.2017 के निदेशानुसार औधोगिक कार्य मे उपयोग के लिए छोटानागपुर कास्तकारी अधिनियम की धारा 49 के तहत्त बिक्री हेतु अनुशंसा की गई है। अभिलेख के समग्र अवलोकन से यह स्पष्ट है कि मौजा मलती, थाना सं०–332 थाना– नामकुम जिला–राँची, स्थित खाता सं०–14, प्लॉट सं०– 259, रकबा 93 डिसमिल मधे 82 डिसमिल भूमि आवेदक की खतियानी

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

भूमि है, जिसे वे विपक्षी के पक्ष मे हस्तांतरित करना चाहते है उपरोक्त तथ्यों से प्रतीत होता है कि आवेदक आवेदित भूमि को हस्तांतरित करने के लिए सक्षम है तथा आवेदक द्वारा जमीन विक्रय करने के उपरान्त जीविका हेतु भूमि शेष बचता है।

अतः आवेदक को अपनी निम्नलिखित भूमि निबंधित विक्रय विलेख के माध्यम से विपक्षी ANANTSNEH WAREHOUSING PVT.LTD. is incorporated under the company act, 2013, at its registered office at 207/A Pinnacle Prahaladnagar Area. opposite Royal Archade, Auda Garden, Ahemdabad, Gujarat, India, 380015, PAN-AASCA1602K and its CIN No- U45201GJ2019PTC107530 represented through its Authorized Signatory Mr. Rajiv Ranjan, aged about 42 years, son of Sri Ram Prasad, R/o Road No. 15g, Rajiv Nagar, Near Shiv Mandir, Phulwari, Keshari Nagar, Patna, Bihar, 800024, at present residing at Village - Pundag, P.S. Jagarnathpur, District Ranchi के पक्ष मे उद्यान उद्योग निमित वेयर हाउस के स्थापना हेतु ग्राम मलती के अन्तर्गत संबंधित वार्ड के लिए निर्धारित सरकारी मुल्यांकन अर्थात रू0 11,531=00/– (ग्यारह हजार पाँच सौ इक्कतीस रूपया मात्र) प्रति डिसमिल की दर या आवेदक द्वारा तय की गई दर से (जो भी अधिक हो) हस्तांतरित करने की अनुमति सशर्त्त प्रदान की जाती है:–

ग्राम एवं थाना	थाना सं0	खाता सं0	प्लॉट सं0	रकबा
मल्टी थाना नामकुम	332	14	259	82 डीसमिल
			कुल रकबा	82 डिसमिल
बयासी डिसमिल				

(इस आदेश के साथ संलग्न अनुसूची के अनुसार)

आवेदक निबंधित विक्रय विलेख के निष्पदान के पूर्व विलेख की एक प्रति उसमे वर्णित हस्तांतरण के शर्त्तो पर सहमति प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत करेगें।

विपक्षी अपने हक एवं हिस्से की उपरोक्त भूमि विपक्षी ANANTSNEH WAREHOUSING PVT.LTD. is incorporated under the company act, 2013, at its registered office at 207/A Pinnacle

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

Prahaladnagar Area. opposite Royal Archade, Auda Garden, Ahemdabad, Gujarat, India, 380015, PAN-AASCA1602K and its CIN No- U45201GJ2019PTC107530 represented through its Authorized Signatory Mr. Rajiv Ranjan, aged about 42 years, son of Sri Ram Prasad, R/o Road No. 15g, Rajiv Nagar, Near Shiv Mandir, Phulwari, Keshari Nagar, Patna, Bihar, 800024, at present residing at Village - Pundag, P.S. Jagarnathpur, District Ranchi को उद्‌यान उद्योग निमित वेयर हाउस उद्योग के स्थापना एवं संचालन करेंगे, अन्यथा यह भूमि आवेदकगण को वापस कर दी जाएगी।

इस आदेश की प्रति संबंधित पदाधिकरियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित करे।

उपायुक्त
रॉची

लेखापित एवं संशोधित

उपायुक्त
रॉची

Digitally signed by RAHUL KUMAR SINHA
Date: 2023.07.28 08:40:15 +05:30
Location: 2001:0:348b:fb58:2c39:30b9:62dc:fc76